सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 25, बुधवार, *शाके* 1945-फरवरी 14, 2024 *Magha 25 Wednesday , Saka 1945- February 14 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 26, 2023

जी.एस.आर.147 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 01.01.2018 से प्रवृत्त होंगे।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में, अनुसूची-V-अग्रिम वेतनवृद्धियां में-क्र.सं.3 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

क्र.सं.	पद का नाम	लेवल	अग्रिम वेतनवृद्धियां
1	2	3	4
3	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (सामान्य शाखा) के अधीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और उससे ऊपर के पद	एल-16 एल-19 एल-21	आयुर्विज्ञान या शल्य चिकित्सा की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा के लिए,- (1) जो सेवा में रहते हुए स्नातकोत्तर डिग्री रखते हों/ अर्जित करते हों, उन्हें तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां अनुज्ञेय होंगी। (2) जो सेवा में रहते हुए स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य डिप्लोमा रखते हों/ अर्जित करते हों उन्हें, दो अग्रिम वेतनवृद्धियां अनुज्ञेय होंगी। (3) ये उपबंध उन पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी के रूप में उच्चतर प्रारंभिक वेतन/ अग्रिम वेतनवृद्धियों का फायदा पहले से ही प्राप्त कर लिया है।

टिप्पण:- उपरोक्त प्रतिस्थापित किये गये उपबंध के नियतन/ पुनर्नियतन के कारण किसी भी पेटे, 1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित), वेतन का और उस पर भत्तों का कोई भी बकाया प्रोद्भूत नहीं होगा।"

[सं.एफ.15(57)एफडी/रूल्स/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

रोहित गुप्ता,

सचिव, वित्त (बजट)।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
NOTIFICATION
Jaipur, July 26, 2023

G.S.R.147 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from 01.01.2018.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, in Schedule V-Advance increments - the existing entry at S.No. 3 shall be substituted by the following, namely:-

S. No.	Name of the Post	Level	Advance Increments
1	**2**	**3**	**4**
3	The posts of Senior Medical Officer and above under Rajasthan Medical & Health Service (General Branch)	L-16 L-19 L-21	For Post Graduate Degree or equivalent Diploma in any branch of Medicine or Surgery; - (1) who are possessing/ acquiring P.G. Degree while in service shall be allowed three advance increments. (2) who are possessing/ acquiring Diploma equivalent to P.G. Degree while in service shall be allowed two advance increments. (3) These provisions shall not be applicable to those who have already availed benefit of higher initial pay/advance increments as Medical Officer.

Note: - No arrear of Pay and Allowances thereon on any account shall accure from 01st January, 2018 to 30th June, 2023 (both days inclusive), on account of fixation/re-fixation of above substituted provision.

[No. F.15(57)FD/Rules/2017]

By order of the Governor,

Rohit Gupta,

Secretary, Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.